

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद

## प्रेस विज्ञापि

लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के पदों हेतु साक्षात्कार की तिथियाँ

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद द्वारा आम जनमानस को विस्तृत रूप से निशुल्क विधिक सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद की अध्यक्षता में जनपद मुरादाबाद में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अंतर्गत चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के एक-एक पद पर तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के दो पद पर नियुक्तियों के अनुक्रम में साक्षात्कार की तिथियाँ पूर्व में चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के एक-एक पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 27.02.2024 तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के दो पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 28.02.2024 एवं 29.02.2024 को नियत की गयी थी।

उक्त तिथियों पर कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अवकाश पर होने के कारण एव अपरिहस्य कारणवश साक्षात्कार संभव नहीं हो सका था।

वर्तमान में कमेटी के अध्यक्ष अर्जित अवकाश पर हैं, अतः आज दिनांक 15-03-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कमेटी के सदस्यों की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें कमेटी के सदस्यों की सर्वसम्मति से साक्षात्कार हेतु निम्न तिथियाँ नियत की गयी:-

क्र० सं०	पदनाम	काउन्सिलिंग/दस्तावेज सत्यापन की तिथि व समय	साक्षात्कार की तिथि व समय
1	चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	21-03-2024, प्रातः 11:00 बजे	21-03-2024, सायं: 04:30 बजे
2	डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	21-03-2024, प्रातः 11:00 बजे	21-03-2024, सायं: 04:30 बजे
3	असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	22-03-2024, प्रातः 11:00 बजे	22-03-2024, सायं: 04:30 बजे

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के अनुक्रम में ऐसे आवेदक, जिन्होंने उक्त पदों हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, वे साक्षात्कार हेतु नियत तिथियों को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद में अपने मूल प्रपत्रों व पहचान पत्र सहित उपस्थित होने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित न होने पर अवसर पुनः देय नहीं होगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(किरण बाला)

प्रथम, अपर जिला जज/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:-

- माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- उपनिदेशक सूचना, सूचना विभाग, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि इसका प्रकाशन मुरादाबाद जनपद के समस्त समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क करायें तथा प्रकाशित समाचार पत्रों की कटिंग अपनी आख्या के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
- केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को जनपद कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
- तहसीलदार सदर, काँठ, बिलारी एवं ठाकुरद्वारा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को तहसील व तहसील बार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
- अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को बाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, मुरादाबाद को इस आशय से कि वह जनपद न्यायालय मुरादाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(किरण बाला)

प्रथम, अपर जिला जज/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मुरादाबाद